

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल , ब्लॉक-5, डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नः 0141- 2700870

E-mail- rajssa_as@yahoo.co.in

क्रमांक - रास्कूलशिप/जय/वै.शि./2018-19/

दिनांक :-

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना- दिशा निर्देश 2018-19

कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु

1. प्रस्तावना -

- 1.1 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- 1.2 राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) नियम, 2011 के नियम 7 (4) में ऐसे छितरी एवं कम आबादी क्षेत्रों एवं ढाणियों, जहां नियम 7(1 व 3) में निर्धारित मानदण्डानुसार विद्यालय का संचालन संभव नहीं है, में निवास कर रहे 6-14 आयुवर्ग के बालक-बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाने का प्रावधान किया गया है।
- 1.3 बिन्दु संख्या 1.2 में वर्णित क्षेत्रों तथा उनसे सम्बद्ध वास स्थानों में निवास कर रहे 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को सहज एवं गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा के लिए उनके वास स्थान के निकटस्थ विद्यालयों में अध्ययन हेतु सुगमतापूर्वक पहुँचाने के उद्देश्य से सत्र 2017-18 में ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा प्रारम्भ की गई।

2. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता -

- 2.1 ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे बालक/बालिकाएँ जिनके वास स्थान से 1 किमी की दूरी तक कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।
- 2.2 ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे बालक-बालिकाएँ जिनके वास स्थान से 2 किमी. की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।

3. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत निर्धारित राशि की दर :-

कक्षा	वास स्थान से दूरी	अधिकतम दर (प्रति उपस्थिति दिवस)
1 से 5	1 किमी. से अधिक	10 रुपये
6 से 8	2 किमी. से अधिक	15 पये

4. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन में दायित्व निर्धारण –

4.1 राज्य स्तर पर समग्र शिक्षा अभियान के वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ का दायित्व:–

1. वित्तीय वर्ष 2017-18 की ट्रांसपोर्ट वाउचर की शेष राशि को समायोजित कर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उपयोग में लेना।
2. शालादर्शन एवं शालादर्पण पोर्टल पर जिलेवार पात्र विद्यार्थियों की संख्या एवं शिविरा कलेण्डर में निर्धारित शैक्षिक दिवसों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम तीन माह (अप्रैल से जून) की ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि जिलों को एडीपीसी के खाते में हस्तान्तरित करवाना।
3. शालादर्शन एवं शालादर्पण पोर्टल से ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए पात्र विद्यार्थियों की विद्यालयवार संख्या की सूची जिलों को प्रेषित करना।
4. वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम तीन माहों (अप्रैल से जून) की शेष राशि की सूचना माह जुलाई में जिलों से प्राप्त करना।
5. माह अप्रैल से जून की शेष राशि को समायोजित कर आगामी तीन माह (जुलाई से सितम्बर) की राशि जिलों को भिजवाना एवं पुनः माह अक्टूबर में शेष राशि की सूचना जिलों से प्राप्त कर आगामी तीन माह (अक्टूबर से दिसम्बर) की ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि समायोजित कर जिलों को भिजवाना इसी प्रकार माह जनवरी में शेष राशि की सूचना जिलों से प्राप्त कर माह (जनवरी से मार्च) की राशि समायोजित कर जिलों को भिजवाना। पात्र विद्यार्थियों की संख्या की सूचना भी राशि के साथ जिलों को प्रेषित करना।
6. वित्तीय वर्ष 2018-19 का जिलों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जिले द्वारा कुल उपयोग की गई राशि एवं शेष राशि की सूचना प्राप्त करना।

4.2 डीपीसी/एडीपीसी (एसएसए) के दायित्व:–

1. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (समग्र शिक्षा अभियान) से प्राप्त ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि को पीईईओ विद्यालय की SDMC/SMC के खातों में हस्तान्तरित करना।
2. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (समग्र शिक्षा अभियान) से ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए पात्र विद्यार्थियों की विद्यालयवार संख्या की सूची संबंधित पीईईओ को प्रेषित करना।
3. वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रारंभ के तीन माह (अप्रैल से जून) की पीईईओ को प्रेषित राशि में से पीईईओ द्वारा वितरित की गई राशि पश्चात् शेष राशि की सूचना माह जुलाई में पीईईओ से प्राप्त करना।
4. वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम तीन माह (अप्रैल से जून) की शेष राशि की सूचना माह जुलाई में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (समग्र शिक्षा अभियान) की औपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ को उपलब्ध करवाना।
5. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् से प्राप्त आगामी तीन माह (जुलाई से सितम्बर) की राशि पीईईओ को हस्तान्तरित करना एवं शेष राशि की सूचना माह अक्टूबर में प्राप्त कर आगामी तीन माह (अक्टूबर से दिसम्बर) की समायोजित राशि पीईईओ को हस्तान्तरित करना। इसी प्रकार माह जनवरी में शेष राशि की सूचना पीईईओ से प्राप्त कर माह (जनवरी से मार्च) की समायोजित राशि पीईईओ को हस्तान्तरित करना। साथ ही पात्र विद्यार्थियों की संख्या पीईईओ को प्रेषित करना।
6. वित्तीय वर्ष 2018-19 का सभी ब्लॉक से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जिले का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् को प्रेषित करना।

4.3 बीईओ के दायित्व:-

1. बीईओ द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की मॉनीटरिंग की जायेगी। पीईओ कार्यालय एवं ब्लॉक के प्रावि/उप्रावि का आकस्मिक निरीक्षण कर रेन्डम सर्वे द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करवाया जायेगा।
2. ब्लॉक के समस्त पीईओ कार्यालयों से ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का दिशा-निर्देशों अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन करवाना।
3. वित्तीय वर्ष 2018-19 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ब्लॉक के समस्त पीईओ/मावि/उमावि से प्राप्त कर ब्लॉक का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित करना।

4.4 पीईओ के दायित्व:-

1. पीईओ द्वारा स्वयं के विद्यालय एवं अधीनस्थ विद्यालयों के ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र विद्यार्थियों की राशि उनके बैंक खाते में अथवा उनके माता-पिता/अभिभावक के खाते में ऑनलाईन/चैक द्वारा हस्तान्तरित की जायेगी।
2. प्रावि/उप्रावि के संस्थाप्रधान से ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र समस्त विद्यार्थियों की सूची प्रपत्र-2 भाग-ग प्राप्त कर उसके अनुसार विद्यार्थियों की प्रविष्टि शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल पर की जायेगी। जिससे बिन्दु संख्या 2.1 एवं 2.2 अनुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए पात्र विद्यार्थियों की संख्या राज्य स्तर पर प्राप्त हो सके एवं जिलों को राशि समय से भेजी जा सके।
3. प्रावि/उप्रावि से प्राप्त एसएमसी द्वारा अनुमोदित प्रपत्र-2 भाग-ग पीईओ कार्यालय में संधारित किया जायेगा।
4. ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीईओ नहीं है। इन सभी विद्यालयों के ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के पात्र विद्यार्थियों से संबंधित प्रपत्र-1 भाग-क एवं ख तथा प्रपत्र-2 भाग-ग संबंधित विद्यालय में ही संधारित किये जायेंगे। पात्र विद्यार्थियों की प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर की जायेगी।
5. सामूहिक परिवहन सुविधा का विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों के लिए संबंधित विद्यालय की एसएमसी द्वारा सामूहिक परिवहन की सुविधा की व्यवस्था की जावेगी। यह सुविधा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से पूरे सत्र के लिए किराये के वाहन से की जावेगी। इस व्यवस्था में एक ही रास्ते से आने वाले विद्यार्थियों तथा स्थानिय साधनों की उपलब्धता का ध्यान रखा जावेगा। उक्त कार्य में अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों का सहयोग लिया जावेगा। वाहन में निर्धारित क्षमता में ही विद्यार्थी बैठे, यह प्रधानाध्यापक एवं पीईओ द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
6. सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा प्रदाता को देय एक मुश्त मासिक किराये का भुगतान पीईओ विद्यालय की SDMC/SMC द्वारा उनके बैंक खाते में किया जावेगा। यदि यह राशि राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञेय राशि से अधिक है तो, जनसहभागिता/भामाशाह/संबंधित विद्यार्थियों के अभिभावकों की स्वैच्छिक सहभागिता से अन्तर की राशि की व्यवस्था का प्रयास किया जा सकता है।
7. सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं लेने वाले विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर का भुगतान अनुज्ञेय राशि या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, के अनुसार उनके अथवा उनके माता-पिता/अभिभावक के खातों में ऑनलाईन/चैक द्वारा हस्तान्तरित किया जावेगा। नकद राशि वितरित नहीं की जावे।
8. प्रावि से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उस विद्यालय से नवीन शैक्षणिक सत्र में ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि देय नहीं होगी।
9. उप्रावि एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नवीन शैक्षणिक सत्र में ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि देय नहीं होगी।

10. अनुमोदित वार्षिक बजट 2018-19 के अनुसार कक्षा 1-5 एवं कक्षा 6-8 के ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2018-19 में प्रति विद्यार्थी रुपये 3000/- से अधिक राशि देय नहीं होगी।
11. वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के तीन माह (अप्रैल से जून) की जिला स्तर से प्राप्त राशि बिन्दु संख्या 4 या 5 के अनुसार विद्यार्थियों को उनकी माह वार उपस्थिति के आधार पर वितरित की जायेगी।
12. माह अप्रैल से जून की शेष राशि की सूचना एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
13. आगामी तीन माह (जुलाई से सितम्बर) की प्राप्त राशि पात्र विद्यार्थियों को वितरित कर शेष राशि की सूचना माह अक्टूबर में एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। माह (अक्टूबर से दिसम्बर) की प्राप्त राशि के वितरण पश्चात शेष राशि की सूचना माह जनवरी में एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। इसी प्रकार माह (जनवरी से मार्च) की राशि वितरित कर शेष राशि की सूचना उपयोगिता प्रमाण-पत्र द्वारा बीईईओ के माध्यम से एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

4.5 संस्थाप्रधान के दायित्व:-

1. प्रावि/उप्रावि/मावि/उमावि के संस्थाप्रधान विद्यार्थी के विद्यालय में प्रवेश के समय ही बिन्दु 2.1 एवं 2.2 अनुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए पात्र विद्यार्थियों से प्रपत्र-1 भाग- क एवं ख भरवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रावि/उप्रावि के संस्थाप्रधान ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र समस्त विद्यार्थियों की सूची प्रपत्र-2 भाग-ग को विद्यालय की एसएमसी से अनुमोदित करवाकर पीईईओ कार्यालय में जमा करेंगे।
3. प्रावि/उप्रावि के संस्थाप्रधान प्रपत्र-1 भाग- क एवं ख विद्यालय में ही सुरक्षित रखेंगे।
4. पीईईओ विद्यालय का संस्थाप्रधान स्वयं के विद्यालय के विद्यार्थियों का प्रपत्र-1 भाग- क एवं ख तथा प्रपत्र-2 भाग-ग पीईईओ कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे।
5. प्रावि/उप्रावि/मावि/उमावि के संस्थाप्रधान ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र विद्यार्थियों के बचत खाते राष्ट्रीकृत बैंक की नजदीकी शाखा में खुलवायेंगे एवं विद्यार्थियों का बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड, ब्रांच कोड एवं बैंक का नाम तथा शाखा का पता पीईईओ कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध करायेंगे। अवयस्क विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावक का बैंक खाता जो विद्यालय में अंकित कराया गया हो ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि के लिए लिया जा सकता है।
6. सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची मय सुविधा प्रदाता की खाता संख्या विद्यालय की एसएमसी द्वारा अनुमोदित कर पीईईओ कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
7. प्रावि/उप्रावि के संस्थाप्रधान ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के पात्र विद्यार्थियों की मासिक उपस्थिति पीईईओ कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। जिससे विद्यार्थियों को समय से राशि का भुगतान किया जा सके।

प्रपत्र-1
कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत लाभ लेने हेतु प्रार्थना पत्र
भाग-क
(विद्यार्थी / अभिभावक द्वारा भरा जायेगा)

1. छात्र/छात्रा का नाम व पता :
2. पिता/अभिभावक का नाम :
3. 1. वर्तमान विद्यालय का नाम व पता : 2. कक्षा :
4. निवास स्थान का पता :
5. निवास स्थान से विद्यालय की दूरी : किमी मीटर
कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किमी से अधिक पर एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 2 किमी से अधिक होने पर निम्न कारणों में से किसी एक कारण पर ✓ का निशान लगाएं :-
 - विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु स्वेच्छा से अध्ययनरत है।
 - विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु अपने
भाई/बहन/परिवारजन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत है
 - विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है।
6. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु विकल्प :
SMC के माध्यम से सामूहिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था / स्वयं के स्तर पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था।

(अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर)

(छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर)

(कार्यालय उपयोग हेतु)

भाग-ख

1. संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण
(पात्रता की शर्त 2.1 एवं 2.2 के अनुसार पात्र विद्यार्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में वर्णित समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है। छात्र / छात्रा कक्षा में अध्ययनरत है जिसका एस.आर. क्रमांक है। अतः उक्त छात्र/ छात्रा का आवेदन पत्र परिवहन भत्ता नियमानुसार दिया जाने की जांच एवं अनुशंषा हेतु SMC के समक्ष प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

मय सील

भाग-घ

PEEO द्वारा अनुमोदन

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु विद्यालय से प्राप्त प्रपत्र-2 भाग-ग के अनुसार समस्त विद्यार्थियों की शाला दर्शन/ शाला दर्पण पर प्रवेश मॉड्यूल में प्रविष्टि की जाकर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की पात्रता शर्त संख्या 2.1/2.2 के अनुसार विद्यार्थी को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिये जाने की प्रविष्टि कर दी गई है।

ह. PEEO
मय सील एवं दिनांक

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक

पीईईओ कार्यालय

प्रमाणित किया जाता है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में पीईईओ कार्यालय को प्राप्त राशि में से स्थानीय पीईईओ विद्यालय एवं पीईईओ परिक्षेत्र के प्रावि एवं उपा विद्यालयों के पात्र विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि उनकी मासिक उपस्थिति के आधार पर विद्यार्थियों/माता-पिता/अभिभावक के खातों में हस्तान्तरित करने पश्चात विद्यालय में ट्रांसपोर्ट वाउचर की शेष राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	वित्तीय वर्ष 2018-19 में ट्रांसपोर्ट वाउचर की कुल प्राप्त राशि	वित्तीय वर्ष 2018-19 में ट्रांसपोर्ट वाउचर की कुल वितरित राशि	पीईईओ कार्यालय में शेष राशि

दिनांक:

हस्ताक्षर एवं नाम
पीईईओ

.....

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक

मावि/उमावि कार्यालय (पीईईओ नहीं)

प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत स्थानीय मावि/उमावि को प्राप्त राशि में से विद्यालय के पात्र विद्यार्थियों को, उनकी मासिक उपस्थिति के आधार पर विद्यार्थियों/माता-पिता/अभिभावक के खातों में राशि जमा किये जाने पश्चात ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की विद्यालय में शेष राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	वित्तीय वर्ष 2018-19 में ट्रांसपोर्ट वाउचर की कुल प्राप्त राशि	वित्तीय वर्ष 2018-19 में ट्रांसपोर्ट वाउचर की कुल वितरित राशि	मावि/उमा विद्यालय में शेष राशि

दिनांक:

हस्ताक्षर एवं नाम
प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक
(बीईईओ कार्यालय एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित करें)

बीईईओ कार्यालय

प्रमाणित किया जाता है कि स्थानीय ब्लॉक के समस्त पीईईओ/माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (पीईईओ नहीं) से वित्तीय वर्ष 2018-19 की ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर समेकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र निम्न विवरणानुसार प्रस्तुत है:-

क्र.स.	ब्लॉक में कुल पीईईओ की संख्या	ब्लॉक में कुल मावि/उमावि की संख्या (पीईईओ नहीं)	ब्लॉक में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की प्राप्त कुल राशि	ब्लॉक में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की कुल वितरित राशि	ब्लॉक में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की कुल शेष राशि

दिनांक:

हस्ताक्षर एवं नाम
बीईईओ

.....

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक
(एडीपीसी कार्यालय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय को प्रेषित करें)

एडीपीसी कार्यालय

प्रमाणित किया जाता है कि एडीपीसी कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2018-19 में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत प्राप्त कुल राशि रु0 में से कुल राशि रु0..... का उपयोग कर लिया गया है एवं कुल राशि रु0 शेष है।

दिनांक:

हस्ताक्षर एवं नाम
एडीपीसी